



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आरएएस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 08/2025

मोहनलाल पुत्र श्री मनीराम जाति स्वामी निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

प्रार्थी

बनाम

1. बदीनारायण पुत्र रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. प्रेम कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति बिश्नोई साकिन खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
3. कैलाश कुमार पुत्र बदीप्रसाद जाति बिश्नोई साकिन खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
4. मनोहरलाल पुत्र राजाराम जाति बिश्नोई साकिन खरलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिमाषकगण ::—

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. श्री संजय कुमार चाण्डक | प्रार्थी |
| 2. श्री अशोक कुमार | अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 |
| 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा | अप्रार्थी संख्या 5 |

—:: निर्णय ::—

दिनांक :- 09/04/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 251-क राजस्व काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरुद्ध अधिवक्ता श्री संजय कुमार चाण्डक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण रजिस्टर्ड पता प्रार्थना पत्र के मुख्य पृष्ठ पर जो दर्ज है वही माना जावे। यह कि मिन प्रार्थी के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता सं. 95 के प.नं. 13/286 (5) के किला नं. 13, 18, 19, 22, 23 की 1.265 हैक् नहरी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 सलंगन वाद पत्र है।

यह कि अप्रार्थी न. 1 की भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. खाता सं. 70 के प.न. 9/288 (13) के किला नं. 4 व प.न. 12/286 (4) किला न. 18, 19, 21/1/0.025, 22/0.253, 23/0.253, 24/0.253 हैक् की कुल 1.543 हैक् नहरी/अनकमाण्ड व अप्रार्थी न. 2 की कृषि भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता सं. 68 के प.नं. 12/286(4) के किला 11/0.253, 20/0.253, 21/2/0.228 की कुल 0.734 हैक् नहरी/अनकमाण्ड व अप्रार्थी संख्या 3 की कृषि भूमि चक 12 एल. जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 19 के प.न. 12/286(4) किला न. 5/0.253, 6/0.253, 15/0.253, 16/0.253, 25/0.253 हैक् नहरी की 1.265 हैक् व अप्रार्थी संख्या 4 की कृषि भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 87 के प.न. 13/286(5) किला .9/0.253, 10/0.253, 11/0.253, 12/0.253, 20/0.253, 21/0.253 40 की कुल 1.518 हैक् नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड वाके हैं जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 सलंगन प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थी की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता सं. 95 के प.नं. 13/286(5) के किला नं. 13, 18, 19, 22, 23 की 1.265 हैक् नहरी खातेदारी में (जिसका विवरण प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की मंद सं. 2 में किया है) मे आने जाने हेतु प्रार्थी चक 12 एल.जी.डब्ल्यू. के खाता संख्या 95 के प.न. 13/286 (5) किला न. 22/ 0.019, 23/0.019 हैक् नहरी बजानिब

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी न. 1 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता सं. 70 के प.नं. 12/286 (4) किला न. 21/1/0.019, 22/0.019, 23/0.019, 24/0.019 हैक की कुल 0.076 हैक नहरी/अनकमाण्ड रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी संख्या 3 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या 19 के प. न. 12/286(4) किला न. 25/0.019 हैक नहरी रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी संख्या 4 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या 87 के प.न. 13/286(5) किला न. 21/0.019 हैक रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता हूँ। चूकि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आने के लिए पूर्व मे कोई रास्ता स्वीकृत नही है। यही रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि मे आने जाने के लिए सुविधा जनक है तथा इसी रास्ता से होकर प्रार्थी काफी अरसा से अपनी भूमि मे आते जाते रहे है। क्योकि प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है। तथा उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। तथा प्रार्थी को इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि तक आवगम हेतू नही है। तथा ना ही कोई रास्ता अलग से लगता है इसी रास्ते से प्रार्थीकी कृषि भूमि से दूरी कम पडती है।

यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि अप्रार्थीगण व प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग वर्तमान में आने जाने हेतु हो रहा है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत हो जाने पर प्रार्थी भी अपनी भूमि में ट्रैक्टर ट्राली व अन्य औजार ले जाकर सुविधा पूर्वक काश्त कर सकेंगे। तथा अपनी भूमि तक आसानी सेआवागमन हो सकेगा।

यह कि प्रार्थी के नाम तहसील पीलीबंगा के 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या 95 के प.न. 13/286(5) किला न. 22/0.019, 23/0.019 हैक इसी तरह कुल 0.038 हैक नहरी बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी न. 1 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यूके खाता सं. 70 के प.नं. 12/286(4) किला न. 21/1/0.019, 22/0.019, 23/0.019, 24/0.019 हैक नहरी/अनकमाण्ड की कुल 0.076 हैक नहरी/अनकमाण्ड रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी संख्या 3 की भूमि चक 12 एल.जी. डब्ल्यू के खाता संख्या 19 के प. न. 12/286(4) किला न. 25/0.019 हैक नहरी रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी संख्या 4 की भूमि चक 12 एल.जी. डब्ल्यू के खाता संख्या 87 के प.न. 13/286 (5) किला न. 21/0.019 हैक रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने की कानूनी अधिकारी है। तथा प्रार्थीया उक्त रास्ता के लिये अप्रार्थीगण को रास्ता अवाप्त शुद्धा भूमि के बदले राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित डी.एल.सी के मुताबिक राशी जमा करवाने के लिए तैयार व रजामन्द है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन है। कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कियाजाकर तहसील पीलीबंगा मे प्रार्थी की भूमि 12 एल. जी. डब्ल्यू के खाता संख्या 95 के प.न. 13/286(5) किला न. 22/0.019, 23/0.019 हैक इसी तरह कुल 0.038 हैक नहरी बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी न. 1 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यूके खाता सं. 70 के प.नं. 12/286(4) किला न. 21/1/ 0.019, 22/0.019, 23/0.019, 24/0.019 हैक नहरी/अनकमाण्ड की कुल 0.076 हैक नहरी/अनकमाण्ड रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी संख्या 3 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या 19 के प. न. 12/286(4) किला न. 25/0.019 हैक नहरी रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा में पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी संख्या 4 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या 87 के प.न. 13/286(5) किला न. 21/0.019 हैक रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता मे पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार हाजिर होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 26.03.25 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 स्वयम् हाजिर आये तहरीर भुद्धा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामा उभय पक्ष को पढकर सुनाया गया सुनकर व समझ कर स्वीकार किया गया राजीनामा उभय पक्ष स्वीकार होने पर अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा पहचान किये जाने पर तस्दीक कर भामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



रजिस्टर्ड पता प्रार्थना पत्र मुख्य पृष्ठ पर दर्ज है। जिनके मध्य रास्ता को लेकर विवाद हो गया था जिसके चलते वादी प्रथम पक्ष ने उक्त दावा माननीय न्यायालय में पेश किया था परन्तु अब पंचायत व समाज के लोगो ने पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया।

यह कि मिन प्रार्थी के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता सं. 95 के प.नं. 13/286(5) के किला नं. 13, 18, 19, 22, 23 की 1.265 हैक्ठो नहरी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 सलंगन वाद पत्र है।

यह कि अप्रार्थी न. 1 की भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता सं. 70 के प.न. 9/288(13) के किला नं. 4 व प.न. 12/286 (4) किला न. 18, 19, 21/1/0.025, 22/ 0.253, 23/0.253, 24/0.253 हैक् की कुल 1.543 हैक्ठो नहरी/अनकमाण्ड व अप्रार्थी न. 2 की कृषि भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता सं. 68 के प.नं. 12/286(4) के किला 11/0.253, 20/0.253, 21/2/0.228 की कुल 0.734 हैक्ठो नहरी /अनकमाण्ड व अप्रार्थी संख्या 3 की कृषि भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या 19 के प.न. 12/286(4) किला न. 5/0.253, 6/ 0.253, 15/0.253, 16/0.253, 25/0.253 हैक्ठो नहरी की 1.265 हैक्ठो व अप्रार्थी संख्या 4 की कृषि भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या 87 के प.न. 13/286 (5) किला न. 9/0.253, 10/ 0.253, 11/0.253, 12/0.253, 20/0. 253, 21/0.253 हैक्ठो की कुल 1.518 हैक्ठो नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड वाके हैं जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 सलंगन प्रार्थना पत्र हैं।

यह कि प्रार्थी की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता सं. 95 के प.नं. 13/286 (5) के किला नं. 13, 18, 19, 22, 23 की 1.265 हैक्ठो नहरी खातेदारी में (जिसका विवरण प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की मंद सं. 2 में किया है) मे आने जाने हेतु प्रार्थी चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या 95 के प.न. 13/286(5) किला न. 22/0.019, 23/0.019 हैक्ठो नहरी बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी न. 1 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता सं. 70 के प.नं. 12/286 (4) किला न. 21/1/0.019, 22/0.019, 23/0.019, 24/0.019 हैक् की कुल 0.076 हैक्ठो नहरी/अनकमाण्ड रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी संख्या 3 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या 19 के प.न. 12/286 (4) किला न. 25/0.019 हैक्ठो नहरी रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी संख्या 4 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या 87 के प.न. 13/286 (5) किला न. 21/0.019 हैक्ठो रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता हूँ। चूंकि प्रार्थी को

अपनी कृषि भूमि मे आने के लिए पूर्व मे कोई रास्ता स्वीकृत नही है। यही रास्ता प्रार्थी को अपनी भूमि मे आने जाने के लिए सुविधा जनक हैं तथा इसी रास्ता से होकर प्रार्थी काफी अरसा से अपनी भूमि मे आते जाते रहे है। क्योकि प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है। तथा उपयोग व उपभोग करते आ रहें है। तथा प्रार्थी को इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि तक आवगम हेतू नही है। तथा ना ही कोई रास्ता अलग से लगता है इसी रास्ते से प्रार्थी की कृषि भूमि से दूरी कम पडती है।

यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि अप्रार्थीगण व प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग वर्तमान में आने जाने हेतु हो रहा है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत हो जाने पर प्रार्थी भी अपनी भूमि में ट्रैक्टर ट्राली व अन्य औजार ले जाकर सुविधा पूर्वक काश्त कर सकेंगे। तथा अपनी भूमि तक आसानी से आवागमन हो सकेगा।

यह कि प्रार्थी के नाम तहसील पीलीबंगा के 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या 95 के प.न. 13/286(5) किला न. 22/0.019, 23/0.019 हैक्ठो इसी तरह कुल 0.038 हैक्ठो नहरी बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी न. 1 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता सं. 70 के प.नं. 12/286(4) किला न. 21/1/0.019, 22/0.019, 23/0.019, 24/0. 019 हैक्ठो नहरी/अनकमाण्ड की कुल 0.076 हैक्ठो नहरी/अनकमाण्ड रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी संख्या 3 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या 19 के प. न. 12/286(4) किला न. 25/0.019 हैक्ठो नहरी रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी संख्या 4 की भूमि चक 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

87 के प.न. 13/286 (5) किला न. 21/0.019 हैक रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने की कानूनी अधिकारी है। तथा प्रार्थीगण ने उक्त रास्ता को बिना प्रतिफल के दिया है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार कर डिकीफरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट पत्रांक 133 दिनांक 17.03.2025 से प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है। प.नं. 12/286 (4) कि.नं. 21 ता 25 व प.नं. 13/286 (5) कि.नं. 21 ता 23 दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित खाते के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि में पूर्व में कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का कोई रास्ता चालू नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

आदेश

बहस अधिवक्त उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन के बाद तहसीलदार रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के राजीनामा व तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट के आधार पर 12 एल.जी.डब्ल्यू के खाता संख्या 95 के प.न. 13/286(5) किला न. 22/0.019, 23/0.019 हैक इसी तरह कुल 0.038 हैक0 नहरी बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी न. 1 की भूमि चक 12 एल.जी. डब्ल्यू के खाता सं. 70 के प.नं. 12/286(4) किला न. 21/1/0.019, 22/0.019, 23/0.019, 24/0.019 हैक नहरी/अनकमाण्ड की कुल 0.076 हैक0 नहरी/अनकमाण्ड रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी संख्या 3 की भूमि चक 12 एल. जी.डब्ल्यू के खाता संख्या 19 के प. न. 12/286(4) किला न. 25/0.019 हैक0 नहरी रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता व अप्रार्थी संख्या 4 की भूमि चक 12 एल. जी.डब्ल्यू के खाता संख्या 87 के प.न. 13/286 (5) किला न. 21/0.019 हैक रास्ता बजानिब दक्षिण दिशा मे पूर्व पश्चिम लम्बा रास्ता राजीनामा अनुसार बिना किसी प्रतिकर के स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 09/04/25 सुनाया गया।



(अमिता ब्रिनोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड सहायक सचिव एवं
पदेन सहायक अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा